

155

पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/884/2012...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई० एस० के० चटर्जी
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता(यांत्रिक सहित)
जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना, दिनांक...../2014

विषय- निविदित दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के संबंध में ।

प्रसंग- बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग,पटना का पत्रांक प्र०-6/द०बि०-नियम-03-08/2006अंश-
2046(एस)दिनांक 06.03.2014 एवं विभागीय पत्रांक 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003
पार्ट-1- 293 दिनांक 27.03.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार सूचित करना है कि पथ निर्माण विभाग के प्रासंगिक पत्र के क्रम में जल संसाधन विभाग द्वारा पत्रांक 1/पी०एम०सी०/विविध/629/2003 पार्ट-1 293, दिनांक 27.03.2014, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित) को अनुपालन हेतु निर्गत किया गया है।

उक्त पत्र आदेश निर्गत की तिथि से लागू माना जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस०के०चटर्जी)


संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

जापांक- 296

पटना, दिनांक 28/03/2014

प्रतिलिपि सभी अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।


28/3/2014

(एस०के०चटर्जी)

संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)

0/4